IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एक राष्ट्र एक चुनाव : चुनावी भ्रष्टाचार नियंत्रण का माध्यम !

प्रा.डॉ.लक्षटे रत्नाकर बाबुराव
परियोजना निदेशक ,
भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली
भारतीय कारगर नीति सामाजिक अनुसंधान
सहयोगी प्राध्यापक तथा अनुसंधान मार्गदर्शक
स्नातक तथा स्नातोकत्तर राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष
देगलूर महाविद्यालय देगलूर
ता.देगलूर जिला .नांदेड (महाराष्ट्र)

सारांश : यह शोध लेख भारत मे चुनाव मे होनेवाले भ्रष्टाचार को इंगित करता है I लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव मे बढते खर्च को स्पष्ट किया है I भारतीय चुनाव मे भ्रष्टाचार हेतू किन कवायतो को राजनीतिक दल ,चुनावी प्रत्याशी कि ओर से अपनाया जाता है इसका विश्लेषण किया है I जिससे चुनाव मे भ्रष्टाचार बढकर चुनावी खर्चे मे किसप्रकार इजाफा होता है I इस चुनावी खर्चे को नियंत्रण मे लाने हेतू चुनाव आयोग और भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये उसे स्पष्ट किया है I फिरभी चुन्वी खर्च और भ्रष्टाचार नियंत्रण मे नही आता I इसे नियंत्रण मे लाने हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार एक पर्याप्त माध्यम किसप्रकार है ,इसे इस शोध लेख मे विश्लेषित किया है I

कीवर्ड : एक राष्ट्र एक चुनाव , लोकतंत्र ,चुनाव आयोग, राजनीतिक दल , लोकसभा ,विधानसभा .अलोकतांत्रिक , चुनाव नियंत्रण ,चुनाव खर्च ,चुनाव भ्रष्टाचार

शोध लेख का आधार – प्रेरणा : भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के भारतीय कारगर नीति सामाजिक अनुसंधान के तहत मान्यता प्राप्त बृहद अनुसंधान प्रकल्प विषय एक राष्ट्र एक चुनाव की सामाजिक –आर्थिक एंव राजनीतिक उपलब्धिया एंव चुनौतियो

Dr. Anil Chidrawar
I/C Principal
A.V. Education Society's
Degloor College, Degloor Dist.Nanded

का अध्ययन के कारण मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है I प्रस्तावित शोध लेख इस अनुसंधान कार्य का हि एक अंश है I

1. प्रस्तावना :

भारत दुनिया का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है I नूतन एंव सभी लोकतांत्रिक देशो के लिए यह एक अच्छा नमुना है I जो स्वतंत्रता और समानता के मुलभूत सिद्धान्तो पर आधारित है I भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने मे अनेक संवैधानिक संस्थाओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है I इनमे से एक महत्वपूर्ण संस्था है ,चुनाव आयोग I जिसके लिए आम जनता , राजनीतिक दल और चुनावी प्रत्याशीयों को उत्तरदायी माना जा सकता है I स्वतंत्र एंव निष्पक्ष चुनाव एक कार्यकारी लोकतंत्र कि कसौटी है I इसी चुनावी व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने कि प्रक्रिया के आधार पर हम भारत के लोकतंत्र पर गर्व कर सकते है I तो दुसरी ओर इसी चुनावी व्यवस्था एंव प्रक्रिया के दरम्यान होनेवाली अलोकतांत्रिक धांधलिया भी हमे लोकतंत्र के भविष्य के प्रति चिंतित करते है I इसी चिंता को अधिक दृढ करने का कार्य चुनावी भ्रष्टाचार करते है I

इस शोध लेख मे चुनावी भ्रष्टाचार के मार्ग ,चुनावी भ्रष्टाचार मे लिप्त यंत्रणा और इन पर नियंत्रण करणे हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव किस प्रकार उपयुक्त एंव समर्पक रहेगा इसका विश्लेषण किया है I

वर्तमान भारतीय समाज ,शासन,प्रशासन अनेक सामाजिक,आर्थिक,एंव राजनीतिक समस्याओ का सामना कर रहा है I इनमे भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है I मानवी एंवम राष्ट्र के जीवन से संबंधित सभी अंग भ्रष्टाचार से लिप्त है I भ्रष्टाचार सर्वव्यापी एंव सर्वसमावेशक बना है I भ्रष्टाचार के अनेक मार्ग और कारण है I इन सभी कारण एंव मार्ग मे चुनाव यह एक महत्वपूर्ण मार्ग और कारण है I इसलिये इस शोध लेख मे परियोजना निदेशक ने भ्रष्टाचार के चुनावी मार्ग पर विस्तार से चिंतन किया है I चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतू भारत सरकार ने स्वतंत्रता से हि अनेक प्रयास किये है I प्रस्तुत शोध लेख मे चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव यह एक प्रमुख साधन हो सकता है ,इसका विश्लेषण किया है I

1952 के प्रथम आम चुनाव से 2019 के आम चुनाव तक चुनावी आयोग के सामने चुनावी भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित करे ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है I इस प्रश्न को सुलझाने हेतू हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने स्वतंत्रता से लेके आज तक अनेक समिती ,आयोग का गठन किया है I इन सभी ने चुनावी भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतू अनेक सुझाव दिये है I जो राजनीति के कारण वास्तव मे नही आये है I

GLDOOR COLLEGE

2. चुनावी भ्रष्टाचार के मार्ग :

चुनावी भ्रष्टाचार के अनेक मार्ग है I जिसमे चुनाव के दरम्यान अपनी नियुक्ती को रद्द करवाना ,मतदाता को रिश्वत देना या लेना ,मतदाता ,अफसर ,चुनावी कर्मचारी ,आम जनता आदि को चुनाव के दरम्यान धमकाना , सांप्रदायिक साधनो का आधार लेकर चुनाव प्रचार करना , चुनाव के दौरान राष्ट्रीय चिन्हो का दुरुपयोग करना,मतदाता को अपने वाहनो मे ले जाना ,चुनाव बूथ पर कब्जा करना , चुनाव कि खर्चे का अंकेक्षण ना करवाना ,चुनाव प्रक्रिया मे कार्य करनेवाले कर्मचारी को मानधन न देना ,फर्जी वोट डालना,चुनावी खर्च कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना ,चुनाव मे सरकारी अफसर या कर्मचारी का दुरुपयोग करना , सामाजिक शांतता को भंग करना आदि चुनावी भ्रष्टाचार या अपराध हेतू सरकार,व्यापारी ,पुंजीवादी और स्वंय का पैसा और आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग करना चुनावी भ्रष्टाचार है I

इस चुनावी भ्रष्टाचार से संबंधित सभी राजनीतिक दल ,राजनेता ,चुनावी प्रत्याशी ,और चुनाव से संबंधित सभी के गैर आचरण को नियंत्रित करने हेतू चुनाव आयोग ने चुनावी आचारसंहिता को विकसित किया है I इस चुनावी आचारसंहिता का पालन करणे मे सभी का सहयोग आवश्यक है I लेकीन चुनाव मे सम्मिलित सभी इस चुनावी आचारसंहिता को अपने राजनीतिक स्वार्थ नुसार इसका अर्थ निकलकर उसका पालन करते है I जो एक चुनावी भ्रष्टाचार हि है I इस चुनावी आचारसंहिता को तोड मडोरकर रखने का कार्य चुनाव मे लिप्त सभी घटको कि ओर से होता है I

3. चुनावी भ्रष्टाचार नियंत्रण के मार्ग :

उपरी सभी चुनावी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करणे हेतू चुनाव आयोग ने अनेक कारगर कदम उठाये है I जैसे कि संवेदनशील और क्रिटीकल मतदान केंद्रो पर मिनी ओब्जरवर और पर्यवेक्षक कि नियुक्ती करना ,चुनाव प्रक्रिया कि व्हिडियो ग्राफी करना ,पुनर्मतदान करवाना ,मतदान केंद्रो का सीधा लाईव प्रसारण करवाना ,चुनावी प्रत्याशी पर नजर रखना ,चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया मे लिप्त सभी के आचरण पर वॉच रखना ,चुनाव के दौरान मतदाता को लुभाने हेतू राजनीतिक दलो कि ओर से होनेवाले सभी प्रयास जैसे कि राजनीतिक घोषणाबाजी ,मतदाता को जरुरतमंद चिजो को बटवारा करना ,चुनाव प्रत्याशी के चुनावी खर्च पर नियंत्रण रखने का कार्य चुनाव आयोग करता है, चुनावी खर्चे का अंकेक्षण न करवाना I फिरभी चुनाव के दौरान होनेवाली आर्थिक धांधलियों मे कमी नही होती ऐसा प्रतीत होता है I

ADAT VYAPARI EDUCATION SOCIETY'S DEGLOOR COLLEGE, DEGLOOR Dist.Nanded

4. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावो मे होता खर्च :

वर्तमान भारतीय चुनाव आयोग के सामने स्थानीय निकाय से लेकर सांसदो के चुनावो मे बडी मात्रा मे खर्च होनेवाला धन एक बडी समस्या है I इस समस्या का प्रमाण प्रतिदिन बढ रहा है I चुनावो पर होनेवाले खर्चे से संबंधित एक जानकारी दर्शाती है की 2009 के लोकसभा चुनाव मे 1100 करोड और 2014 के लोकसभा चुनाव मे 4000 करोड रूपए खर्च हुआ था I 2019 मे भी प्रति मतदाता खर्च 72 रूपए बताया जा रहा है I इसके अतिरिक्त यदि उम्मिद्वारो के खर्च कि बात करे तो 2014 के लोकसभा चुनाव मे कुल 30 हजार करोड का खर्च हुआ था , जो 2019 मे बढकर करीब 60 हजार करोड हो गया I लोकसभा पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का कहना है कि , लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने से खर्च आधे से भी कम हो जाएगा I लोकसभा चुनाव मे आयोग जितना खर्च करता है उसका दस गुण ज्यादा खर्च होता है I

लोकसभा चुनाव के साल	चुनाव आयोग का खर्च	कुल खर्च (तकरीबन)
२०१४	३४२६ करोड	३५००० करोड
२००४	१११४ करोड	१०००० करोड
१९९६	५९७ करोड	२५०० करोड

२०१४ के आंकडों को आधार मानते हुए प्रति चुनाव हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर औसत खर्च करीब ७० करोड रु. और हर विधानसभा क्षेत्र (२९ राज्यो और दो केंद्र शासित प्रदेशो दिल्ली तथा पुदुच्चेरी मे ४०३३) पर करीब १० करोड रु. बैठता है, यह मानते हुए कि लोकसभा और विधानसभा पर अगर एक हि दर से खर्च होता है. इसके साथ अगर बार - बार विधानसभा ,नगरपालिका और पंचायत चुनावो का भी खर्च जोड दिया जाए तो यह आंकडा १००००० करोड रु. से भी उपर चला जाएगा I अगर इस भरी भरकम खर्च पर लगाम लगाई जाती है तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा और चुनावी व्यवस्था मे माफिया कि पकड कमजोर पडेगी और गलत पैसे का इस्तमाल रोकने मे काफी मदद मिलेगी I इस कारण चुनाव मे सकारात्मक सोच रखने वाले , शिक्षित एंव स्वच्छ चरित्र के व्यक्ती का सहभाग घटता जा रहा है I चुनाव पारदर्शी ,निष्पक्ष और स्वच्छ वातावरण मे करना मुश्कील

© 2021 IJCRT | Volume 9, Issue 5 May 2021 | ISSN: 2320-2882

बनता हुआ है I चुनावी प्रक्रिया मे बढते काले धन के प्रभाव ने चुनावी भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुचा दिया है I चुनाव मे अपराधिक चरित्र का बढता सहभाग चुनाव मे आर्थिक भ्रष्टाचार को बढावा देता है I चुनाव मे जीत हासील करने हेतू धन का गैर मार्ग से संचय एंव संपादन भी बढ रहा है I इसलिये चुनाव आयोग ने प्रत्याशी और दलो को संपत्ती और देनदारीयों की सूची सार्वजनिक करणे के लिये कानून बनाने को कहा है I

चुनाव आयोग ने चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतू विशेष चुनावी खर्च मानिटरिंग प्रभाग ,आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालयों आदि का भी निर्माण किया है I पिचले कुछ सालो से चुनाव मे पेड न्यूज कि घटना बढ रही है I पेड न्यूज चुनाव खर्च कि मर्यादा को तोड रही है I इससे संसद , सरकारे ,मिडिया ,प्रेस काऊसील और राजनीतिक दल सभी परेशान है I इस परेशानी से मुक्त चुनावी व्यवस्था एंव लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाणे हेतू चुनाव आयोग ने बहतर कदम उठाए I जिसमे राज्य ,जिला स्तर पर सतर्कता समितियो का हुआ निर्माण यह महत्वपूर्ण है I

चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतू चुनाव आयोग ने कूछ महत्वपूर्ण चुनाव सुधार भी किये है I जिसमे राजनीतिक दलो के खर्चे को सील करना , अंकेक्षण अनिवार्य करवाना ,मतदाता को रिश्वत देणे को संज्ञेय अपराध घोषित करना , गंभीर अप्रधियो को चुनाव लादणे पर प्रतिबंध लगवाना मतदाता जागरूकता ,साक्षरता का अभियान भी चुनाव आयोग ने चलाया है I

5.एक राष्ट्र एक चुनाव चुनावी भ्रष्टाचार नियंत्रण का माध्यम :

उपरी सभी बाते चुनाव मे होनेवाले आर्थिक एंव अन्य भ्रष्टाचार को नियंत्रित करणे का समर्थन करती है I इसके अलावा आये दिनो मे भारतीय राजनीति मे भारतीय चुनाव प्रक्रिया मे सुधार करणे हेतू एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर चर्चा हो रही है I अनेक विद्वानो का मानणा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यह विषय चुनावी खर्चे और चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने की एक कारगर नीति साबित होगा I इस शोध लेख मे किस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार चुनावी खर्चे और चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने मे एक कारगर नीति साबित होगा यह स्पष्ट करणे का प्रयास किया है I

DEGLOOR COLLEGE, DEGLOOR Dist. Nanded

एक राष्ट्र एक चुनाव से देश निरंतर चुनाव के चक्र से मुक्त होगा I यानी लोकसभा ,विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव पांच साल मे एक बार हि होंगे I अगर चुनाव हि नही होंगे या युं कहे चुनाव का प्रमाण हि घटेगा तो चुनाव मे होनेवाला खर्च और भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण होगा I लेकीन यहां एक बात है कि अगर पांच साल मे एक हि बार चुनाव होंगे तो उसी चुनाव मे होनेवाला खर्च भी बढेगा I यह बात भी सही लागती है I लेकीन यह खर्चा दिन ब दिन होनेवाले चुनावी खर्चे से काम हि होगा I

स्थानीय निकाय से लेके संसद के चुनाव तक जो खर्च होता है उसका कोई भी अंकेक्षण नही होता , इसी कारण चुनाव पर होनेवाला खर्च और दिखाया खर्च इसमे अधिक अंतर होता है I यह अंतर बंधने कि कवायत प्रशासनिक स्तर पर हर चुनाव मे होती है I जिसकारण हमारा मनुष्यबल चुनाव खर्चे मे किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाय यह सोचाने मे हि अपना समय गवाता है , इसमे सभी सम्मिलित नही रहते लेकीन प्रमाण अधिक है I एक राष्ट्र एक चुनाव से इसका प्रमाण कम होगा I

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार चुनावी भ्रष्टाचार से लेकर शासन , प्रशासन के स्तर पर होनेवाले आर्थिक भ्रष्टाचार समेत ,आचरण एंव प्रशासनिक स्तर पर होणे वाले भ्रष्ट आचरण को भी नियंत्रित करता है I

निरंतर चुनाव से व्यक्ती का व्यक्तिगत, मानसिक ,शारीरिक एंव आर्थिक स्वास्थ बिघडता है I मनुष्य का आर्थिक वर्तन और व्यवहार बिघडता है I एक राष्ट्र एक चुनाव से निरंतर चुनाव कि प्रक्रिया से राजनीतिक दल ,चुनाव आयोग ,चुनाव प्रत्याशी ,चुनाव कर्मचारी आदि कि मुक्तता होगी I यह सभी अपना समय अपने कार्य को सुचारू रूप से और पारदर्शी करणे मे अपना समय और पैसा देंगे I सभी प्रशासनिक कार्यालयो मे चुनाव के कारण आम आदमी का काम नही रुकेगा ,जिसकारण उसका आर्थिक नुकसान नही होगा I सरकारी नीति मे रुकावट न आकर उसपर दोबारा खर्च होनेवाला पैसा बचेगा I शासन और प्रशासन मे उपलब्ध मनुष्यबल का सही याने आर्थिक विकास मे उपयोग होगा I राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारी इनके संबन्धो मे सुधार होगा I चुनाव जितने हेतू अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत फायदा उठाकर अधिक पैसा जमा कर अपने दलो को चंदा देणे कि

कवायतो से प्रत्याशी को छुटकारा मिलेगा I और भी ऐसे कई चुनावी भ्रष्टाचार एक राष्ट्र एक चुनाव से नियंत्रित होंगे I

6. निष्कर्ष :

यह विचार सुनने मे अच्छा है I लेकीन इसे कार्यान्वित करणे हेतू सरकार को सभी राजनीतिक दलो के साथ सलाह मशवरा करना होगा I संविधान के जानकार ,विधि के पंडित से राय लेणी होंगी I संविधान के अनेक धाराओं मे संशोधन करना होगा I तब जाके यह विचार वास्तविक रूप धारण कर सकता है I

संदर्भ ग्रंथ :

1) सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और चुनाव आयोग
2) Law Commission Summary of Draft Working Paper on Simutaneous Elections-Constitutional and Legal Perspectives -2018
3) https://aajtak.intoday.in.in/story/is-one-country-one-election-is-good-for-india-1-888702.html
4) Vicharmanthan महाराष्ट्र विधनासभा चुनाव-2019 Jan.2020

Dr. Anil Chidrawar
I/C Principal
A.V. Education Society's
Degloor College, Degloor Dist.Nanded